

No.A.12025/1/2016-Admn
Government of India
Ministry of Water Resources, River Development &
Ganga Rejuvenation
(ISO 9001:2008 Certified)

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, dated 28th February, 2018

To,

1. The Chief Secretary to all State Governments
2. The Secretary, Irrigation/ Agricultural Departments of State Governments
3. The Public Sector Undertaking/ Agricultural Universities/ Recognized Research Institutes/ Semi-Government/ Autonomous Statutory Organizations

Subject: Filling up the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) in the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation on deputation (including short term contract) basis

Sir,

I am directed to say that one post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline) of the GCS Group 'A' Gazetted (Non-Ministerial) in the level 13 [pre-revised pay scale PB-4 of Rs. 37400-67000/- + Rs. 8700/- (Grade Pay)] in the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, New Delhi is proposed to be filled up by deputation (including short term contract) from amongst officers of the Central Government or State Governments of Union Territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognized Research Institutes or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations:-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
 - (ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 12 [pre-revised Pay Band-3 Rs. 15600-39100/- + 7600/- (Grade Pay)] or equivalent in the parent cadre or department; or
 - (iii) with 10 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 11 [pre-revised Pay Band-3, Rs. 15600-39100/- + 6600/- (Grade Pay)] or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience :-
- (i) Degree in Agricultural Engineering or Soil and Water Conservation Engineering or Post Graduate Degree in Agronomy or Soil Science from a recognized University; and
 - (ii) 12 years' experience in Water Conservation and management of irrigated agriculture and on-farm development work in the irrigation or agricultural department of a State Government or Central Government or in any recognized agricultural University or in any agricultural training or research or management Institute.

Contd.../-

-2-

Note 1: Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Central Government shall ordinarily not to exceed five (5) years.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been a merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

2. The officer selected will have the option to draw his/ her grade pay plus deputation (duty) allowance or his pay fixed in the scale of pay of the deputation post subject to the restrictions contained in the DoPT O.M. No. 6/8/2009-Estt(Pay.II) dated 17.6.2010 as amended from time to time.

3. It is requested that wide circulation may be given to the post and applications of eligible officers, in triplicate, duly signed by the officer concerned in the enclosed proforma (Annexure Part-I) with Part-II duly filled by sponsoring authority along with the requisite certificate/ documents may please be forwarded to the undersigned within 60 days of publication of the advertisement in the Employment News. Applications received after the prescribed date or without the desired certificate/ documents will not be considered.

Yours faithfully,

Encl: As above


(A.K. Kaushik)

Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 23738126

Copy forwarded for similar action to :-

1. All Ministries/ Departments of the Government of India
2. All attached and subordinate offices of Ministry of Water Resources, RD & GR
3. All Commissioners/ Senior Joint Commissioners/ Deputy Commissioners in the Ministry of Water Resources, RD & GR
4. Director (CS), DoPT, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi – with the request to upload this circular on DoPT's website for wider circular.
5. NIC Cell, M/o WR, RD & GR – for uploading on the Ministry's website.

BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMAANNEXURE 4

1.	Name and Address (in Block Letters)	
2.	Date of Birth (in Christian Era)	
3 i)	Date of entry into service	
ii)	Date of retirement under Central/ State Government Rules	
4.	Educational Qualifications	
5	Whether Educational and other Qualifications required for the post are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualifications/ Experience required as mentioned in the advertisement/ vacancy circular		Qualification/ experience possessed by the officer
Essential		Essential
A) Qualification		A) Qualification
B) Experience		B) Experience
Desirable		Desirable
A) Qualification		A) Qualification
B) Experience		B) Experience
<p>5.1 Note: This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/ Department/ Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News.</p> <p>5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary subjects may be indicated by the candidate.</p>		
6	Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post	
<p>6.1 Note: Borrowing Departments are to provide their specific comments/ views confirming the relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-data) with reference to the post applied</p>		

7. Details of Employment in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient

Office/ Institution	Post held on regular basis	From	To	*Pay in the Matrix against the post held on regular basis	Nature of duties (in detail) highlighting experience required for the post applied for

* Important: Pay granted under ACP/ MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/ MACP with present Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below:-

Office/ Institution	Pay drawn under ACP/ MACP Scheme	From	To

8. Nature of present employment i.e., Ad-hoc or temporary or Quasi- Permanent or permanent			
9. In case the present employment is held on deputation/ contract basis, please state:-			
a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/ contract	c) Name of the parent office/ organization to which the applicant belongs	d) Name of the post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent organization

9.1 Note: In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/ Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity Certificate.

9.2 Note: Information under Column 9 (c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/ organization but still maintaining a lien in his parent cadre/ organization.

10. If any post held on Deputation in the past by applicant, date of return from the last deputation and other details.		
11. Additional details about present employment: Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column) a) Central Govt b) State Govt c) Autonomous Organization d) Government Undertaking e) Universities f) Others		
12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.		
13. Are you in the Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale		
14. Total emoluments per month now drawn		
Pay in the Matrix	Level	Total Emoluments
15. In case the applicant belongs to an Organization which is not following the Central Government Pay-scales, the latest salary slip issued by the Organization showing the following details may be enclosed:-		
Basic Pay with level in Pay Matrix	Dearness Pay/ interim relief/ other Allowances etc. (with break-up details)	Total Emoluments
16.A. Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and		

<p>above prescribed in the Vacancy Circular/ Advertisement);</p> <p>(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient)</p>	
<p>16.B Achievements</p> <p>The candidates are requested to indicate information with regard to :-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/ Scholarships/ Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/ institutions/ societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organization (v) Any research/ innovative measure involving official recognition <p>(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)</p>	
<p>17. Please state whether you are applying for deputation (STC)/ Absorption/ Re-employment basis. #</p> <p>(Officers under Central/ State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organizations are eligible only for Short Term Contract)</p>	
<p># (The option of 'STC'/ 'Absorption'/ 'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment")</p>	
<p>18. Whether belongs to SC/ ST</p>	

I have carefully gone through the vacancy circular/ advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/ details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having a bearing on my selection has been suppressed/ withheld.

Signature of the candidate

Address _____

Date _____

Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/ she possesses educational and experience mentioned in the vacancy circular. If selected, he/ she will be relieved immediately.

2. Also certified that

i) There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/ Smt.

ii) His/ her integrity is certified.

iii) His/ her CR Dossier in original is enclosed/ photocopies of the ACRs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed.

iv) No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years Or a list of major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed (as the case may be).

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with seal)

संख्या ए. 12025/1/2016-प्रशा.

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक: 28 फरवरी, 2018

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।
2. राज्य सरकारों के सिंचाई/कृषि विभागों के सचिव।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त सांविधिक निकाय।

विषय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि क्षेत्र) का पद भरा जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली में लेवल 13 [पूर्व संशोधित वेतन बैंड-4, 37400-67000 रूपए + 8700 रूपए (ग्रेड वेतन)] के वेतनमान में जीसीएस समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय) के वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि क्षेत्र) का एक पद, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा केन्द्रशासित प्रदेशों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त संस्थानों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारियों में से, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर भरा जाना प्रस्तावित है:-

(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में ग्रेड में नियुक्ति के बाद 12 [पूर्व संशोधित वेतन बैंड 3, 15600-39100 रूपए+7600 से (ग्रेड वेतन)] अथवा समतुल्य वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो ; अथवा

(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में ग्रेड में नियुक्ति के बाद 11 [पूर्व संशोधित वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए+6600 रूपए (ग्रेड वेतन)] अथवा समतुल्य वेतनमान में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी अथवा मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा कृषि विज्ञान अथवा मृदा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और
- (ii) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सिंचाई अथवा कृषि विभाग अथवा किसी मान्यताप्राप्त कृषि विश्वविद्यालय अथवा किसी कृषि संबंधी प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा प्रबंधन

संस्थान में सिंचित कृषि और खेत विकास कार्य के जल संरक्षण और प्रबंधन में 12 वर्ष का अनुभव रखते हों।

टिप्पणी 1: केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन और विभाग ने इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः 5 (पांच) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पूर्व अथवा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू संशोधित वेतन दायरे की तारीख से नियमित आधार पर की गई सेवा को, जहां संशोधन पूर्व एक से अधिक वेतनमान को एक साइदा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में मिला दिया गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (वर्ग) के लिए दिया जाएगा जिनके लिए ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान, बिना किसी वृद्धि के सामान्य प्रतिस्थानी ग्रेड होगा, को छोड़कर उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू संगत ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा।

2. चुने गए अधिकारी को अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता आहरित करने अथवा अपना वेतन प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में नियत करवाने का विकल्प होगा, लेकिन यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन-11) में निहित शर्तधीन होगा।

3. अनुरोध है कि इस पद को व्यापक रूप से परिचालित किया जाए और पात्र अधिकारियों के आवेदन तीन प्रतियों में (संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित) निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक भाग-1) भाग-2 सहित प्रायोजित अधिकारी द्वारा विधिवत भर के अपेक्षित प्रमाणपत्र/दस्तावेजों को रोजगार समाचार विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को भिजवा दिए जाएं। निर्धारित दिनों के बाद अथवा अपेक्षित प्रमाणपत्र और दस्तावेजों के बगैर प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक: यथोक्त।

अशोक कौशिक
(ए.के. कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23738126

प्रतिलिपि सामान्य कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सभी आयुक्त / वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त।

4. निदेशक (सी एस), का एंव प्रविभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने हेतु।
5. एनआईसी सेल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय- मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अशोक कौशिक

(ए.के. कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23738126

जीवन-वृत्त प्रपत्र

1.	नाम और पता स्पष्ट अक्षरों में	
2.	जन्म तिथि (ईस्वी सन में)	
3.	(i) सेवा में प्रवेश की तारीख	
	(ii) केन्द्र/राज्य सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4.	शैक्षिक योग्यता	
5.	क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं : (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)	
विज्ञापन/सिक्के परिपत्र में किए गए उल्लेख के अनुसार अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव		अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
अनिवार्य		अनिवार्य
(क) अर्हता		(क) अर्हता
(ख) अनुभव		(ख) अनुभव
वांछित		वांछित
(क) अर्हता		(क) अर्हता
(ख) अनुभव		(ख) अनुभव

5.1 टिप्पणी: इस बॉलम में परिपत्र के जारी होने और रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने के समय प्रशासनिक संग्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में उल्लिखित अनिवार्य वांछित संकेतार दर्शाने के लिए विस्तार किया जाना चाहिए।

5.2 डिप्टी और स्नातकोत्तर अर्हताओं के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा चयनित/मुख्य विषय और सहायक विषय दर्शाए जाएं।

6. कृपया आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आन पद की अपेक्षा पूरी करते हैं।

6.1 टिप्पणी: अधिकारी को नियुक्ति पर लेने वाले विभागों को आवेदित पद के संदर्भ में अभ्यर्थी की संगत अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव (जीवनवृत्त में उल्लिखित) की पुष्टि करते हुए अपनी विशेष टिप्पणियां/विचार देने होंगे।

7. कालक्रमानुसार रोजगार के द्यौर (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भर्ती-भर्ति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें।) :

कार्यालय/संगठन का नाम	नियमित आधार पर धारित पद	से		* नियमित आधार पर धारित पद का वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	आवेदित पद के लिए अपेक्षित अनुभव दर्शाते हुए कार्य का स्वरूप (विस्तार से)
		से	तक		

* महत्वपूर्ण: एसीपी/एनएसीपी के तहत दिया गया वेतनबैंड और ग्रेड वेतन प्रत्येक अधिकारी के लिए अलग-अलग होते हैं, इसलिए इनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान दर्शाया जाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऐसे लाभ लिए गए हैं तो वर्तमान वेतनबैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एनएसीपी का ब्यौरा निम्नानुसार दर्शाया जाए:

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एनएसीपी स्कीम के तहत आधरित वेतन, वेतनबैंड और ग्रेड वेतन	से	तक

8.	वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा अर्द्ध स्थाई अथवा स्थाई			
9.	वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें			
(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख	(ख) प्रतिनियुक्ति/रविदा नियुक्ति की अवधि	(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे अभ्यर्थी संबंधित है।	(घ) मूल संगठन में धारित उल्लेखनीय पद का पदनाम और वेतनमान	
<p>9.1 टिप्पणी: जो अधिकारी पहले से प्रतिनियुक्त पर हैं उनके आवेदन मूल संगठन/विभाग द्वारा संगठन स्वीकृति, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ अद्योचित किए जाने चाहिए।</p> <p>9.2 टिप्पणी: उन सभी मामलों में कॉलम 9 (ग) और (घ) के तहत सूचना दी जानी चाहिए जहां कोई व्यक्ति संगठन/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति के पद पर है, परन्तु अपने मूल संगठन/संगठन में लियन पर है।</p>				
10. यदि पूर्व में अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति पर किसी पद पर रहा हो तो अंतिम प्रतिनियुक्ति से लौटने की तारीख और अन्य ब्यौरा।				
11.	<p>वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण :</p> <p>कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं- (संगत कॉलम में आपके नियुक्ति का नाम दर्शाएं)</p> <p>(क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय (च) अन्य</p>			
12.	कृपया बताएं कि क्या आप इसी विभाग में कार्य कर रहे हैं और फीडर ग्रेड में हैं अथवा फीडर ग्रेड के फीडर ग्रेड में हैं			

13.	क्या आप संशोधित वेतनमान में रहे हैं ? यदि हाँ, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें	
14. वर्तमान में आहरित कुल परिलब्धियां		
	वेतनबैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन
		कुल परिलब्धियां
15. यदि अभ्यर्थी ऐसे संगठन से है जो केन्द्र सरकार के वेतनगणन का अनुसरण नहीं करता तो निम्नलिखित व्यौरा दर्शाते हुए संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन स्लिप संलग्न की जाए।		
	वेतनमान और वेतन वृद्धि की दर के साथ मूल वेतन	मंहगाई वेतन/अंतरिम राहत/अन्य भत्ते आदि (विस्तृत व्यौरा के साथ)
		कुल परिलब्धियां
15क.	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हैं। (इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं, (ii) पेशेवर प्रशिक्षण और (iii) शिक्षा परिषद/विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव से अधिक अनुभव के संबंध में सूचना दी जाए) (टिप्पणी : यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें)	
15ख. उपलब्धियां: अभ्यर्थियों से निम्न के संबंध में सूचना देने का अनुरोध किया जाता है: (i) शोध प्रकाशन और रिपोर्ट तथा विशेष परियोजनाएं (ii) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधुनिक प्रशंसा (iii) पेशेवर निकायों/संस्थाओं/सोसाइटियों के साथ		

संबंधिता और (iv) रचय के नाम पर पंजीकृत अथवा संगठन के लिए प्राप्त किए गए पेटेन्ट (v) आधिकारिक मान्यता प्राप्त अनुसंधान/नूतन उपाय (टिप्पणी : यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें)	
17. कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (एसटीसी)/आमेसन/पुनर्नियुक्ति आधार के लिए आवेदन कर रहे हैं। # (केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारी केवल "आमेसन" के लिए पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों के अध्यक्षों केवल अल्पकालीन सेविदा के लिए पात्र हैं।)	
# ('एसटीसी', 'आमेसन', 'पुनर्नियुक्ति' के विकल्प तभी उपलब्ध होंगे यदि रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया जाए कि अर्थात् 'एसटीसी' अथवा 'आमेसन' अथवा 'पुनर्नियुक्ति' द्वारा की जाएगी।	
18. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यापूर्वक पढ़ लिया है और मैं इस बात से गंभीरतापूर्वक अवगत हूँ कि चयन के समय चयन समिति द्वारा अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव के संबंध में मेरे द्वारा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत जीवन-वृत्त का भी आकलन किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/ध्यान मेरी जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है और मेरे चयन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पता.....

दिनांक.....

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाणपत्र

अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त आवेदन में दी गई सूचना/व्यौरा रिकॉर्ड में दिए गए तथ्यों के अनुसार सत्य एवं सही है। उनके पास रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव है। इनका चयन होने पर इन्हें अविलंब कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

(i) श्री/श्रीमती.....के विरुद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है/चलाए जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

(iii) उनके सीआर डोजियर की मूल प्रति संलग्न है/उनकी पिछले पांच वर्षों की एसीआर की भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी द्वारा यथा सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न हैं।

(iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शक्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर बड़े/छोटे जुर्माने नहीं लगाए गए हैं। (जैसा भी लागू हो)

प्रतिदस्तावेजित

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण की मुहर के साथ)